संख्या 35 /2018/यू0ओ0 30/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-96 जी/2000- न्याय-2

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2018

विषय- प्रदेश के नवसृजित 03 जनपद न्यायालयों के सी0जे0एम0 के उपयोगार्थ 03 नये महेन्द्रा बोलेरो वाहन के क्रय हेतु तथा 18 पुराने जनपद न्यायालयों के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपयोगार्थ निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर 18 नये महेन्द्रा बोलेरों वाहनों के क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक (न्यायिक/बजट) के पत्र सं0-388/एडमिन दिनांक 16 फरवरी,2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नवसृजित 03 जनपद न्यायालयों के सी0जे0एम0 के उपयोगार्थ 03 नये महेन्द्रा बोलेरो वाहन के क्रय हेतु प्रतिवाहन रू0720251/- के दर से कुल रू02160753/- तथा 18 पुराने जनपद न्यायालयों के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपयोगार्थ निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर 18 नये महेन्द्रा बोलेरों वाहनों के क्रय हेतु प्रतिवाहन रू0720251/- की दर से कुल रू012964518/- अर्थात **कुल रू015125271/- (रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख पचीस हजार दो सौ इकहत्तर मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उक्त वाहनो का क्रय सुसंगत नियमों/शासनादेशों/निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च,2018 के पूर्व अवश्य कर लिया जायेगा, यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा करा दिया जायेगा ।

3- वाहनो की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । वाहनों के क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा करा दिया जायेगा ।

4- प्रश्नगत वाहनों हेतु धनराशि स्वीकृति के दो माह के अन्दर 18 निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी करते हुये धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए वाहन नम्बर के साथ सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिन 18 जनपदों में महेन्द्रा बोलेरो वाहन दिया गया है, इसकी भी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- नवसृजित जिन 03 जनपद न्यायालयों को महेन्द्रा बोलेरो वाहन उपलब्ध करायी जायेगी। उसकी भी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

6- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। अस्तु वाहनों का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 2014-न्याय प्रशासन-00- 108-दण्ड न्यायालय- 03-नियमित अधिष्ठान- 00-14-मोटर गाड़ियों का क्रय '' से वहन किया जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0- ई-12-388/दस-2018 दिनांक 14 मार्च,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुखसचिव

<u>सं0- 35 /2018/यू0ओ0 30 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन, इलहाबाद ।
5- न्याय अनुभाग-2 ।
6- वित्त ई- 12 ।
7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in